

मै0 हिमावत पावर प्रा0 लि0 2X660 मेगावॉट तापीय विद्युत परियोजना की ग्राम चपरघटा, अमीलिया, कच्छगॉव एवं सिहारी तहसील – भोगनीपुर जनपद रमाबाई नगर में स्थापना हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय 844 फतेहपुर रोशनाई रनिया जनपद रमाबाई नगर में प्राप्त प्रस्ताव पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533(अ) दिनांक– 14.09.2006 यथासंशोधित एस0ओ0 3067(ई) दिनांक 01.12.2009 के प्राविधानों के अनुपालन में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक– 28.06.2011 को ग्राम पंचायत भवन चपरघटा (आढ़न) तहसील–भोगनीपुर जनपद रमाबाई नगर में श्री ओ0पी0 द्विवेदी अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में आयोजित लोक सुनवाई की कार्यवृत्त का विवरण :

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या एफ 86159/सी-2/एनओसी/3706/11 दिनांक–20.05.2011 एवं तत्पश्चात जिलाधिकारी महोदय जनपद रमाबाई नगर द्वारा उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु स्थल, तिथि एवं समय की सहमति/अनुमति प्रदान करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा प्रतिष्ठित दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के उपरान्त दिनांक 28.06.2011 को मध्याह्न 2:00 बजे ग्राम पंचायत भवन चपरघटा (आढ़न) तहसील–भोगीपुर जनपद रमाबाई नगर में श्री ओ0पी0 द्विवेदी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की अध्यक्षता में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

उक्त लोक सुनवाई की आम सूचना स्थानीय हिन्दी दैनिक जागरण एवं अंग्रेजी समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक– 27.05.2011 को प्रकाशित की गयी थी, जिनकी छाया प्रतियाँ संलग्न है (संलग्नक-1)।

लोक सुनवाई की अध्यक्षता श्री ओ0पी0 द्विवेदी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय जनपद– रमाबाई नगर द्वारा की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों श्री डी0एन0 मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, श्री मुनीन्द्र नाथ उपाध्याय, उप जिलाधिकारी, तहसील– भोगनीपुर एवं नायब तहसीलदार, तहसील– भोगनीपुर, जनपद– रमाबाई नगर एवं अन्य विभागीय अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों में स्थानीय लोक सभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिलापंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एवं अन्य स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों एवं समीपवर्ती ग्रामों के निवासी उपस्थित थे।(संलग्नक-2)

लोकसुनवाई प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जनपद– रमाबाई नगर द्वारा सभी उपस्थित अधिकारियों एवं स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि ग्राम चपरघटा, अमीलिया, कच्छगॉव तथा सिहारी तहसील भोगनीपुर जनपद रमाबाई नगर में मै0 हिमावत पावर प्रा0 लि0 द्वारा क्षमता– 2X660 मेगावाट कोयले पर आधारित तापीय विद्युत सुपर क्रिटिकल पावर परियोजना का प्रस्ताव दिया गया है। उनके द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

श्री के0 राजा गोपाल प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मै0 हिमावत पावर प्रा0 लि0 ने प्रस्तावित 2X660 मेगावॉट परियोजना, के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी तथा यह भी बताया गया कि प्रदेश में भारी विद्युत की कमी को दृष्टिगत रखते हुए 2X660 मेगावॉट के सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित परियोजना के आने से स्थानीय लोगों को परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। परियोजना हेतु कोयले की आपूर्ति निकटवर्ती एन0सी0एल0/निकटतम कोलफील्ड अथवा आस्ट्रेलिया से आयातित कोयले द्वारा की जायेगी। चिमनी से निकलने वाले धुएँ के उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु 99.78 प्रतिशत से अधिक दक्षता वाले ई0एस0पी0 के साथ 275 मी0 ऊँची चिमनी का निर्माण किया जायेगा। परियोजना हेतु जल की प्रमुख आपूर्ति का प्रमुख स्रोत यमुना नदी होगी।

श्री के० राजा गोपाल ने लैन्को समूह की समाज सेवी संस्था लैको फाउंडेशन की गतिविधियों एवं समाज के विकास में इसके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया गया। श्री बी० के० चौधरी, वैज्ञानिक-सी, मै० विन्टा लैब लि०, हैदराबाद, पर्यावरण परामर्शदाता ने परियोजना से होने वाले पर्यावरण सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी।

श्री ओ०पी० द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), जनपद- रमाबाई नगर ने उपस्थित जनसमूह से अनुरोध किया कि वे प्रस्तावित विद्युत परियोजना के बारे में पर्यावरण से सम्बन्धित अपने सुझाव/टिप्पणी, आपत्ति एवं स्वयं के अनुभव के अनुसार हेतु विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री सोनीलाल निवासी ग्राम पथार एवं श्री महेश चंद निवासी ग्राम चपरघटा ने कहा कि परियोजना के लिये अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का उचित मूल्यांकन किया जाये एवं सम्बन्धित किसानों के परिवारों में से एक सदस्य को योग्यतानुसार रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

श्री संतकुमार द्विवेदी, सामाजिक कार्यकर्ता, निवासी मलासा ने कहा कि परियोजना से पर्यावरण की कोई समस्या नहीं होनी चाहिये।

श्री गोविंद मिश्रा निवासी कछगांव ने पेयजल की व्यवस्था के बारे में जानना चाहा।

श्री स्वतंत्र कुमार निवासी कछगांव ने कहा कि योग्यताधारियों को योग्यतानुसार परियोजना में स्थाई नौकरी दी जाये।

श्री महाराज सिंह यादव, प्रधान देवराड़ ने कहा कि ग्राम सभा की भूमि का उचित मूल्यांकन हो व इससे मिलने वाली धनराशि को सम्बन्धित गांव के विकास में लगाया जाये तथा नजदीकी गांवों का भी विकास होना चाहिए।

श्री विनोद निषाद, पूर्व सदस्य जिला पंचायत ने कहा कि एक-दो बीघा भूमिधारियों को भी भूमिहीन माना जाये व भूमिहीनों को मिलने वाले लाभ उनको भी दिये जायें।

श्री मनोज कुमार ग्राम पथार ने कहा कि पेयजल शुद्धिकरण, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की भविष्य में जरूरत क्यों होगी?

श्री मलखान सिंह यादव ग्राम कुम्हापुर ने अपनी भूमि की उत्पादित क्षमता के बारे में बताते हुए उसकी गुणवत्ता के आधार पर उचित मूल्यांकन करने को कहा।

श्री रवीन्द्र कुमार यादव ग्राम चपरघटा ने कहा कि कम्पनी भूमिहीन एवं प्रभावित किसानों के विकास के लिये किये जाने वाले कार्यों के बारे में पूर्ण विवरण दे।

लोकसुनवाई के समय उपस्थित जन समुदाय में से कुछ ग्रामवासियों द्वारा समीपवर्ती क्षेत्रों में बिजली की समस्या का निराकरण करते हुए आस-पास के गांवों में 24 घंटे निःशुल्क बिजली आपूर्ति करने की मांग की गयी।

श्री वीरसैन यादव, सदस्य रेलवे बोर्ड सलाहकार समिति ने क्षेत्र में पेयजल तथा सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार आदि स्थानीय समस्याओं के बारे में कम्पनी प्रतिनिधियों को अवगत कराया तथा इनके निदान के लिये ज्यादा से ज्यादा विकास की नीतियों को क्रियान्वित करने के बारे में कहा।

श्री घनश्याम अनुरागी, सांसद ने इस परियोजना का स्वागत करते हुए हर तरह से सहयोग का आश्वासन दिया और स्थानीय लोगों की तरफ से कम्पनी को विश्वास दिलवाया कि सभी लोग कम्पनी द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजना में पूरा सहयोग करेंगे किन्तु कम्पनी को भी इस क्षेत्र के विकास में पूरा योगदान देना होगा। उनका कहना था कि कम्पनी द्वारा स्थानीय लोगों को योग्यतानुसार रोजगार में प्राथमिकता दी जाये। कम्पनी गांव को गोद ले जिससे सरकार के अलावा भी कई सुविधाओं जैसे केन्द्रीय विद्यालय स्तर के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, अस्पताल आदि बनवाये जायें। उनका कहना था कि ग्राम समाज की भूमि से मिली धनराशि ग्राम के विकास में ही लगाई जाये एवं निजी भूमिस्वामियों को भूमि का उचित मूल्य कम्पनी द्वारा एकमुश्त प्रदान किया जाए। उनका कहना था कि प्रशासन एवं ग्रामवासियों की भागीदारी से कमेटी का गठन किया जाये जो स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिये कार्य करे एवं ग्रामवासियों से उन्होंने कम्पनी द्वारा लगाई जा रही परियोजना की सहमति के लिये सभा के दौरान उपस्थित जन समुदाय से हाथ उठाकर समर्थन देने के लिये अनुरोध किया। जिसके उपरान्त लोक सुनवाई के समय उपस्थित जन समुदाय द्वारा हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपना समर्थन देने की इच्छा व्यक्त की गयी।

हिमावत प्रबन्धन की तरफ से श्री के० राजा गोपाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उपरोक्त वर्णित प्रश्नों/बिन्दुओं द्वारा उक्त परियोजना की स्थापना से सम्बन्धित उत्पन्न आशंकाओं का निराकरण करते हुए अवगत कराया गया कि हिमावत प्रबन्धन स्थानीय नागरिकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योग्यतानुसार प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने में निश्चित रूप से प्राथमिकता देगा।

भूमि के मूल्य से सम्बन्धित विषय पर उन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार स्थानीय प्रशासन क्षेत्रीय समिति एवं परियोजना प्रबन्धक की संयुक्त बैठक में विचार-विमर्श में लिये गये निर्णयानुसार मूल्य अदा करने का वचन दिया। पेयजल से होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया गया तथा लोगों को कम्पनी द्वारा शुद्ध पेयजल प्रदान करने की कम्पनी की प्रतिबद्धता के सम्बन्ध में अवगत कराया।

स्वास्थ्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि लोगों की राय तथा प्रशासनिक अधिकारियों से मंत्रणा करके उनके निदान हेतु कम्पनी की प्रतिबद्धता जताई।

उन्होंने बताया कि परियोजना द्वारा उत्पादित होने वाली 90 प्रतिशत या अधिक बिजली को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के दिशा निर्देशानुसार दिया जायेगा जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार से कम्पनी ने पूर्व में ही अनुबन्ध कर लिया है। परियोजना के आस-पास के क्षेत्रों में कम्पनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग के नियमानुसार गांवों में बिजली उपलब्ध करवाने का पूर्ण प्रयास करेगी।

हिमावत की परियोजना में जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित कर निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के सारे प्रयास किये जायेंगे। जैसा कि कम्पनी द्वारा दिये गये प्रस्तुतिकरण में बताया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नियमों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण हेतु सारी व्यवस्था की जायेगी।

वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 99.78 प्रतिशत से अधिक कार्यक्षमता के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटर (ई०एस०पी०) संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। चिमनी की ऊँचाई 275 मीटर की होगी जिससे कि नियंत्रित उत्सर्जन विसरित हो सके। कोयला भण्डारण, लोडिंग एवं अनलोडिंग के स्थान पर जल का छिड़काव किया जायेगा जिससे धूल की सांद्रता नियंत्रित की जायेगी। धूलकणों (एस०पी०एम०), (एस०ओ०टू०) एन०ओ०एक्स०, सी०ओ०2 एवं सी०ओ०) के आनलाइन मानिट्रिंग हेतु उपकरण लगाये जायेंगे।

प्रस्तावित इकाई से निकलने वाली राख का संग्रह सूखी राख के रूप में किया जायेगा और यथासम्भव इसे स्थानीय एवं क्षेत्रीय ओद्योगिक इकाइयों को दिया जायेगा। इस दिशा में विभिन्न सीमेण्ट कम्पनियों से बातचीत चल रही है। इसके अलावा राख का उपयोग अन्य उपायों जैसे ईट बनाना, निचली जमीन को भरना, सडक निर्माण आदि में किया जायेगा। सडक मार्ग द्वारा राख ढुलाई बलकर्स और कैपसूल के द्वारा करने की योजना है जो पूरी तरह से सील बन्द होते हैं अतः एव इससे वायु प्रदूषण फैलने की कोई सम्भावना नहीं रहती।

परियोजना की कालोनियों और प्लांट से उत्पन्न प्रदूषित घरेलू उत्प्रवाह को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपचारित किया जायेगा। उपचार के बाद इस जल को हरित पट्टी के विकास हेतु जल छिड़काव एवं इसी तरह की अन्य प्रक्रियाओं में उपयोग किया जायेगा। राख विसर्जन में प्रयुक्त जल की यथा सम्भव रिसाइकलिंग की जायेगी। परियोजना में 232 एकड़ क्षेत्र में हरित पट्टी का विकास किया जायेगा जिसके फलस्वरूप प्रस्तावित परियोजना की स्थापना एवं संचालन से उत्पन्न ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण में सहायता मिलेगी।


परियोजना के निर्माण में प्रयोग होने वाले मशीनों व उपकरणों का सही रखरखाव करने से ध्वनि स्तर कम रहेगा। इसके अलावा ध्वनि प्रतिरोधक (साइलेंसर) यंत्र लगाये जायेंगे।

माननीय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद- रमाबाई नगर ने कहा कि हिमावत परियोजना के आने से प्रदेश का विकास सुनिश्चित प्रतीत होता है इसलिये इस परियोजना को यथाशीघ्र स्थापित करना इस प्रदेश की जनता के हित में आवश्यक है। उन्होंने हिमावत प्रबन्धन से आग्रह किया कि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के अनुकूल प्रदूषण के स्तर को यथासम्भव नियंत्रित रखने के सारे उपाय किये जायें। उन्होंने क्षेत्र की जनता से हिमावत पावर प्रोजेक्ट को सहयोग देने का आग्रह किया।

उन्होंने अपने सम्बोधन में यह भी कहा कि कम्पनी गांवों के विकास के लिये उदारता से सोचते हुये उन गांवों को जिसमें से परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहीत की जा रही है उन्हें गोद ले ले तथा ज्यादा से ज्यादा विकास की नीतियों को क्रियान्वित करें।

उपरोक्त विचारों, सुझावों, टिप्पणियों एवं आपत्तियों के अतिरिक्त और कोई मुद्दा लोक सुनवाई के दौरान नहीं उठाया गया। उक्त लोकसुनवाई के समय उपस्थित स्थानीय जनसमुदाय ने ध्वनिमत से इस परियोजना के स्थापना हेतु अपनी सहमति जताई एवं इसके जल्द से जल्द क्रियान्वयन हेतु अनुरोध किया।


उपरोक्त मन्तव्य के साथ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मै० हिमावत पावर प्रा० लि०, के प्लांट की स्थापना हेतु स्थानीय लोक सुनवाई की कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्गत की जाती है।


2016/11

श्री ओ०पी० द्विवेदी

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/अध्यक्ष लोक सुनवाई

जनपद- रमाबाई नगर



(डॉ० शोभा चतुर्वेदी)

क्षेत्रीय अधिकारी

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

रमाबाई नगर, उ०प्र०